

राजस्थान सरकार
निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसंशि/ए.सी.आर.-1/साम.प्रशा./2019-20/पं.1/रा.का.01492 19873-913 दिनांक : 28/7/23

1. समस्त प्राचार्य
आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय
2. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
3. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
राजकीय वरि.उपा./प्रवेशिका/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक संस्कृत विद्यालय
4. प्रधानाचार्य,
राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,
महापुरा, जयपुर
5. उपनिदेशक,
एस.एस.आई.ई.आर.टी, महापुरा, जयपुर

विषय: राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने बाबत।

कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2022 एवं 22.04.2022 के निर्देशानुसार राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) राजकाज सॉफ्टवेयर के PAR Module द्वारा ऑनलाईन भरे जाने हैं। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरे जाने हेतु कार्मिक द्वारा उनके प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी का अनुक्रम (Hierarchy) निर्धारित चैनल के अनुसार आवश्यक है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2021-22 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरे जाने हैं। अतः आप अपने अधीन समस्त संस्थाओं एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्तानुसार निर्धारित अवधि में ए.सी.आर. भरे जाने हेतु निर्देशित करें। साथ ही जो कार्यालयाध्यक्ष/संबंधित अधिकारी जिन्हें ऑनलाईन ए.सी.आर. प्रेषित की गयी हैं वे भी अविलम्ब चैनल अनुसार अग्रेषित करावें।

विभाग के ध्यान में आया है कि कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ए.सी.आर. ऑनलाईन भरे जाने के उपरान्त भी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/चैनल अधिकारियों के पास लंबित रहती है। जिनके कारण विभाग को 2021-22 से 2023-24 तक की सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की ए.सी.आर. प्राप्त नहीं हुई है।

अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2021-22 से अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) राजकाज सॉफ्टवेयर के PAR Module में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करें, इसके अभाव में यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति नहीं होती है/आस्थागत की जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डॉ. भास्कर शर्मा)
निदेशक,

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान
Document certified by BHASKAR SHARMA <director.sanskrit@gmail.com>

Digitally Signed by
BHASKAR SHARMA
Designation: Director
Date :28-07-2023 02:48:02